न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास—श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या—101/2025
GCMS No.- 2025/114

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमती रूकमणी देवी पत्नि श्री नेमाराम जाति—धूंधववाल जाट,निवासी—धूंधवालों की ढाणी, अलाय तहसील व जिला नागौर		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :—

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेन्ट श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक ।

निर्णय **दिनांक :—30.07.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 5/2025 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि अपीलांट रूकमणी देवी उचित मुल्य दुकान संख्या 1263 धूंधवालों की ढाणी (अलाय) नागौर की उचित मुल्य दुकानदार हैं तथा जिला कलक्टर (रसद) नागौर के द्वारा इस संबंध में अपीलांट को राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए प्राधिकार पत्र संख्या 1263 दिनांक 30.01.2017 को जारी किया गया,तब से अपीलांट ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्त्वों का निर्वहन करते हुए उचित मुल्य राशन सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं को करती रही है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि दिनांक 01.04.2025 की तारीख लगा न्यायालय जिला रसद अधिकारी, नागौर से विभागीय प्रकरण संख्या 5/2025 में कारण बताओं नोटिस मिला तथा इस नोटिस के साथ ही अपीलांट को दिनांक 01.04.2025 की तारीख लगा जिला रसद अधिकारी, नागौर का आदेश मिला जिस आदेश में अपीलांट के प्राधिकार पत्र 1263/2017 को अग्रिम आदेश/90 दिवस की अवधि तक निलम्बित किये जाने की सूचना रुकमणी अपीलांट को दी गई थी । अपीलांट ने इस नोटिस के व आदेश के मिलने पर माननीय राजस्थान उच्च्य न्यायालय,जोधपुर में सिविल रिट पीटीशन संख्या 7487/2025 रूकमणी देवी बनाम राज्य वगैरह पेश की जिसमें माननीय उच्च्य न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को स्टे पीटीशन पर सुनवाई करते हुए जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 को निलम्बित कर दिया । माननीय उच्च्य न्यायालय ने दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

09.05.2025 को रिट का निस्तारण करते हुए अपीलांट को वैकल्पिक उपचार यानि जिलाधीश, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने तथा अपील का निर्णय 30 दिवस में करने का निर्देश दिए हैं। अपीलांट ग्रामीण परिवेश की महिला होने से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है इस तथ्य की जानकारी नही होने से जोधपुर में रिट पेश कर दी इसलिये उच्च न्यायालय में लगे रिट निस्तारण के समय को अपीलांट माफ कराने की अधिकारी है जिस हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का आवेदन एवं शपथ–पत्र अलग से पेश किया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित प्रवर्तन निरीक्षक का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट को जानकारी होते हुवे भी अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की हैं तथा विलम्ब से पेश करने का प्रतिदिन का ब्यौरा अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज नहीं किया हैं। यह अपील 15 दिवस विलम्ब से पेश की हैं,अगर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से भी मान लिया जावें तो यह अपील 07 दिवस विलम्ब से पेश की गई हैं तथा इन सात दिवसों का विलम्ब का कोई कारण इस अपील में एवं प्रार्थना–पत्र में नहीं दर्शाया गया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपीलांट द्वारा जानबुझकर यह अपील विलम्ब से पेश की हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ग्रामीण परिवेश की महिला होने से कानून की बारिकीयों की जानकारी का अभाव रहता हैं,इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुवे अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का मूल अपील पर बहस में कथन हैं कि जिला रसद अधिकारी,नागौर को पाँच व्यक्तियों के नाम से अपीलांट के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत पर एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही पेन से पाँचों व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये गये हैं । शिकायत पर न तो इन व्यक्तियों के नाम हैं व न ही जाति लिखी है न उम्र लिखी है और न ही गांव का नाम व इनकी वल्दियत लिखी है। यहाँ यह भी विचारणीय बिन्दू हैं कि जॉच के समय इस शिकायत की सत्यता की जांच करने के लिये इन व्यक्तियों के बयान तक नहीं लिये गये हैं जिससे यह साबित है कि यह शिकायत झूठी और फर्जी तैयार की हुई शिकायत है एवं इस प्रकार की शिकायत पर की गई कार्यवाही भी अवैध हैं।

रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा हमारे विरूद्ध कमियॉ निकालते हुए जो कार्यवाही की गई हैं तथा जो नोटिस दिया गया उसके सम्बन्ध में बिन्दूवार न्यायालय के सामने स्थिति इस प्रकार हैं कि नोटिस में यह बताया गया हैं कि वक्त निरीक्षण मौके पर हमारी उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। उचित मूल्य दुकान पर लिखे दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क करने पर श्री नेमाराम ने मौके पर पहूंच कर दुकान का निरीक्षण करवाया गया। इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन हैं कि दिनांक 28.03.2025 को जरिये ग्रुप मैसेज हमें नागौर टाउन हॉल में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था,उक्त आदेशों की पालना में अपीलांट नागौर टाउन हॉल चली गई थी। प्रवर्तन निरीक्षक के फोन करने पर मेरे पति को भेजकर दुकान का निरीक्षण करवाया गया हैं,इसमें हमारे द्वारा क्या गलती की गई हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना उचित हैं कि जब मेरे को नागौर उपस्थित होने हेतु मैसेज भेजा गया तो फिर मेरे

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पीछे से जॉच दल भेजना एवं मेरे दुकान का निरीक्षण करवाया जाना न्यायसंगत नहीं था क्योंकि यह सब सोचीसमझी चाल के तहत किया हुआ निरीक्षण था।

हमारे विरूद्व यह भी आरोप हैं कि उचित मूल्य दुकान का संचालन मेरे स्वयं द्वारा नहीं किया जाकर मेरे पति श्री नेमाराम द्वारा ही किया जा रहा हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष यह स्थिति पेश करना चाहूँगा कि वास्तव में उचित मूल्य दुकान का संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा हैं। जांच दल ने अपीलांट के पति के खाली कागजों पर यह विश्वास दिलवाकर हस्ताक्षर करवा लिये गये कि इन कागजों पर दुकान बन्द होने व अपीलांट के अनुपस्थित होने की लिखापढ़ी की जायेगी मगर खाली कागजों पर हुवे हस्ताक्षरों का नाजायज फायदा उठाकर जांच दल ने राजनैतिक दबाब में आकर नागौर कार्यालय में बैठकर खाली कागजों पर गलत,झूठे,मिथ्या तथ्य यथा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं होने,स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड अद्यतन नहीं होने,स्टॉक रजिस्टर नहीं पाये जाने,बोर्ड पर जिला रसद अधिकारी के वॉट्सऐप नम्बर नहीं होने,गेहूँ स्टाक से 139 किलोग्राम कम होना,संचालन उनके द्वारा करना यह सब अपने मन से अंकित कर लिये एवं उसी के आधार पर मेरा लाईसेन्स निलम्बन किया गया हैं, जबकि इन सब तथ्यों की जानकारी मेरे से लेनी थी तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जानी थी। इस सब प्रकार की लिखा पढ़ी के सम्बन्ध में मेरे पति ने न्यायालय में शपथ–पत्र पेश किया हैं तथा इस शपथ–पत्र में इन सब तथ्यों का खण्डन किया गया हैं।

उपरोक्त तथ्यों के बारे में न्यायालय के सामने यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे द्वारा नियमानुसार सब बोर्ड प्रदर्शित किये हुवे हैं,जहॉ तक स्टॉक रजिस्टर का प्रश्न हैं,स्टॉक रजिस्टर पॉश मशीन से संधारित होता हैं एवं वक्त निरीक्षण पॉश मशीन में स्टॉक संधारित भी था। जहॉ तक ऑफलाईन स्टॉक रजिस्टर संधारण का प्रश्न हैं इस सम्बन्ध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,जयपुर द्वारा जरिऐ पत्र दिनांक 04.11.2024 से सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया गया हैं कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के सफल संचालन करने हेतु उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा वितरित किये जा रहे खाद्यान्न के वितरण डाटा का संधारण ऑनलाईन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। अतः समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि खाद्यान्न को वितरण का डेटा इलेक्ट्रोनिक मोड में संधारित होने के कारण उचित मूल्य दुकानदारों को ऑफलाईन स्टॉक रजिस्टर संधारण करने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं हैं। इस प्रकार इन निर्देशों के तहत ऑफलाईन रजिस्टर संधारण की आवश्यकता नहीं होने से हमारे द्वारा ऑफलाईन रजिस्टर संधारण नहीं किया गया हैं। जहॉ तक स्टॉक कम होने का प्रश्न हैं स्टाक कम नहीं था हमने दिनांक 04.04.2025 को डीलर नथमल को चार्ज दिया जब पोश मशीन अनुसार स्टॉक 2949 किलोग्राम गेहूँ का दिया गया हैं। जॉच दल ने अपनी फर्द में स्टॉक कम होने के तथ्य गलत दर्शाये हैं एवं हमें गलत नोटिस दिया गया हैं। जहॉ तक मेरे पति के द्वारा दुकान संचालन का प्रश्न हैं इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से निवेदन हैं कि मैं ग्रामीण परिवेश की महिला होने से सामग्री तोल जोक में कोई गलती नहीं हो,इसलिए मेरे पति का सहयोग लेती हूँ तो इसमें क्या गलती हैं। जबकि दूकान का संचालन मेरे द्वारा ही किया जा रहा हैं। मेरे द्वारा दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा हो,ऐसा किसी ग्राहक की मेरे विरूद्ध आरोप नहीं हैं एवं न ही उन्होंने कोई ऐसा लिखित में पेश किया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

हमारे विरूद्ध यह भी आरोप हैं कि उचित मूल्य दुकान अलाय बस स्टेण्ड के पास संचालित हैं, जहां से धुंधवालों की ढाणी लगभग 2–3 किलोमीटर दूर होना मौके पर उपस्थिति मेरे पति व अन्य व्यक्ति ने बताया हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन हैं कि मेरे पति ने ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया हैं बल्कि खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद इस प्रकार के तथ्य अंकन किये गये हैं। मेरे को राशन की दुकान का लाईसेन्स कलक्टर जिला रसद,नागौर से जारी हो रखा हैं,जिसकी प्रति मैने पेश की हैं, जिसमें दुकान का मानचित्र प्रमाणित हैं एवं मेरी दुकान उसी अनुसार संचालित की जा रही हैं,तो फिर इस प्रकार के आरोप लगाने के कोई औचित्य नहीं रहते हैं।

जॉच रिपोर्ट के आधार पर मेरे विरूद्ध प्रकरण ही दिनांक 01.04.2025 को दर्ज किया गया तथा मेरा लाईसेन्स भी उसी दिन मेरी बिना सुनवाई के निलम्बन किया गया हैं,जबकि न्याय की यह मंशा हैं कि मेरे को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के बाद अगर मेरे विरूद्ध आरोप साबित होते तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती थी। अपने इन कथनों के समर्थन में विद्वान वकील अपीलांट ने 2018DNJ(SC) पेज 1422 की नजीर पेश कर न्यायालय का ध्यान माननीय न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित कर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित प्रवर्तन निरीक्षक का दौराने बहस कथन हैं कि समस्त ग्रामवासी धुंधवालों की ढाणी,नागौर द्वारा दिनांक 27.03.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी,नागौर को इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि उचित मूल्य दुकान धुंधवालों की ढाणी श्रीमती रूकमणीदेवी के नाम से आवंटित हैं किन्तु उचित मूल्य दुकानदार रूकमणी देवी द्वारा यहां कभी भी राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जाता हैं। वितरण का काम नेमाराम द्वारा किया जाता हैं जबकि लाईसेन्स के अनुसार दुकानदार स्वयं को ही दुकान पर राशन वितरण का कार्य करना होता हैं। दुकान संचालन धुंधवालों की ढाणी से तीन–चार किलोमीटर दूर अलाय बस स्टेण्ड के पास किया जाता हैं। जिससे लोगों को राशन लाने में बहुत ही तकलीफ होती हैं,क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने का कोई साधन नहीं हैं,जब राशन लेने जाते हैं तो अक्सर दुकान बंद रहती हैं। श्री नेमाराम को फोन करके पुछते हैं तो वह सही जबाब नहीं देता हैं। महिने में दो–तीन चक्कर लगाते हैं तब कहीं जाकर राशन मिलता हैं। हम गरीब लोग हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं हमारी महिने में दो–तीन दिन मजदूरी चली जाती हैं। हम इस राशन डीलर से बहुत ही पेरशान हो गये हैं। इसलिए इस डीलर को हटाकर कोई दूसरा डीलर से राशन दिलवाया जावें ताकि हमें समय पर राशन मिल सकें।

उपरोक्त प्राप्त शिकायत पर श्रीमान् जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा आदेश क्रमांक / 817 दिनांक 27.03.2025 से जॉच दल का गठन कर उक्त शिकायत की जॉच करवायी गई। जॉच दल द्वारा दिनांक 28.03.2025 को जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें शिकायत के तथ्य सही पाये जाने पर जॉच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.04.2025 को रिटेलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया हैं जो सही निलम्बित किया गया हैं। जॉच के समय उचित मूल्य दूकान बंद पायी गई हैं तथा दुकान पर लिखे नम्बरों पर सम्पर्क करने पर श्री नेमाराम द्वारा फोन उठाया गया तथा दुकान का निरीक्षण भी श्री नेमाराम द्वारा करवाया गया था,जिससे यह पूर्णतया साबित हैं कि उक्त दुकान श्री नेमाराम द्वारा ही संचालित की जा रही हैं। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में एवं अपील में यह कथन किया हैं कि दिनांक 28.03.2025 को उचित मूल्य दुकानदारों को जरिऐ वॉट्सऐप मैसेज से नागौर टाउन हॉल में

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया इसलिए श्रीमती रूकमणी देवी नागौर उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु गयी थी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन हैं कि श्रीमती रूकमणी देवी नागौर उपस्थित हुई ऐसा कोई पत्रावली में दस्तावेज पेश नहीं किया हैं,जिससे यह अपने आप में साबित हैं कि श्रीमती रूकमणीदेवी घर पर होते हुए भी अपने पति को दुकान का निरीक्षण करवाने हेतु भेजा गया हैं जो कृत्य लाईसेन्स नियमों के विरूद्व हैं। निरीक्षण के समय दुकान के बोर्ड पर स्टॉक का अंकन नहीं पाया गया तथा मूल्य सूची अद्यतन नहीं पायी गई थी एवं दुकान के बोर्ड पर श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारी के दूरभाष नम्बर अंकित नहीं पाये गये थे। यहाँ तक कि उपभोक्ता हेल्पलाईन के वॉट्सऐप नम्बर,वन नेशन वन राशन कार्ड,हेल्पलाईन नम्बर प्रदर्शित नहीं पाये गये। वक्त निरीक्षण स्टॉक अनुसार गेहूँ का स्टॉक सही नहीं पाया गया बल्कि भौतिक सत्यापन में 139 किलोग्राम गेहूँ कम पाये गये,जिसका सन्तोषप्रद कारण मौका पर उपस्थित श्री नेमाराम द्वारा नहीं बताया गया तथा न ही अपीलांट ने अपील में वक्त निरीक्षण स्टॉक कम का कारण अंकित किया हैं,यहाँ तक स्टॉक रजिस्टर तक उपलब्ध नहीं करवाया गया हैं। अब अपीलांट अभिभाषक महोदय का कथन हैं कि निलम्बन के समय चार्ज दिया गया उस समय स्टॉक सही सुपुर्द किया गया हैं। इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन हैं कि मौका फर्द संलग्न हैं,जिसमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि भौतिक सत्यापन में 139 किलोग्राम गेहूँ कम मिला(पोस में दर्ज स्टॉक से)। इस फर्द पर श्री नेमाराम के हस्ताक्षर हैं। अब विद्वान वकील अपीलांट ने तर्क किया हैं कि नेमाराम को मुगालते व बहाने में लेकर हस्ताक्षर करवाये गये तथा अब इस सम्बन्ध में उन्होंने शपथ–पत्र भी दिया हैं। यह कथन मानने योग्य नहीं हैं। उक्त कथन अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही से बचने के लिए बाद में सोच विचार कर अपने बचाव में किये जाना प्रतीत होता हैं। वास्तविकता में शिकायत सही पाये जाने पर इनका निलम्बन किया गया हैं,जो विधिवत किया गया हैं। जहाँ तक नोटिस उसी दिन देना एवं निलम्बन उसी दिन करने के बिन्दू पर हमारा निवेदन हैं कि जॉच के समय उचित मूल्य दुकानदार का पति नेमाराम स्वयं मौजूदा था उनके सामने फर्द बनायी गई तथा उन्हें पढ़कर सुनाई गई तथा बाद में उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं तथा प्रथम दृष्टया जॉच में शिकायत सही पाये जाने पर उनका निलम्बन किया गया हैं,जो नियमानुसार किया गया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बहस में बताये गये तथ्यों का पुनः जबाब देते हुए यह कथन किया कि स्टॉक रजिस्टर ऑफलाईन भी संधारण करना जरूरी हैं,इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित प्रवर्तन निरीक्षक ने कोई नियम न्यायालय में पेश नहीं किये हैं। जहाँ तक फर्द तैयार की गई के सम्बन्ध में हमारा पुनः निवेदन हैं कि खाली फर्द पर अपीलांट के पति के हस्ताक्षर यह कहकर करवाये गये थे कि यह रूटिन की जॉच हैं,जबकि इस फर्द को बाद में तैयार किया गया हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पति नेमाराम एवं मौके पर उपस्थित श्री रामकरण ने तस्दीक सुदा शपथ–पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया हैं कि हमारे हस्ताक्षर खाली कागज मर करवाये हैं तथा लिखा पढ़ी बाद में की गई हैं। इस प्रकार रसद विभाग के अधिकारियों पर राजनैतिक दबाब के कारण हमारे विरूद्व यह तमाम कार्यवाही की गई हैं,जो एक पक्षीय, हमे सुने बिना एवं राज्य सरकार के नियमों के विरूद्व की गई जो निरस्त फरमायी जावें एवं मेरा लाईसेन्स पुनः बहाल किया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि दिनांक 27.03.2025 को समस्त ग्रामवासी ग्राम धुंधवालों की ढाणी की ओर से जिला रसद अधिकारी ,नागौर को उचित मूल्य दुकानदार धुंधवालों की ढाणी द्वारा की जा रही गंभीर अनियमितताऐं का उल्लेख करते हुवे,उचित मूल्य दुकानदार को हटाये जाने का निवेदन किया गया हैं। इस शिकायत के आधार पर जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा कार्यालय के आदेश कमांक/ रसद/जॉच/2025/817 दिनांक 27.03.2025 से जॉच दल का गठन किया जिसमें (1) श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी (2) श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक की नियुक्ति की जाकर शिकायत में दर्ज तथ्यों की जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया हैं।

उक्त आदेश की पालना में जॉच दल द्वारा दिनांक 28.03.2025 को मौका पर जाकर शिकायत की जॉच कर निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया तथा जॉच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी,नागौर को प्रस्तुत की हैं। निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 28.03.2025 में निम्न अनियमितताऐं अंकित की हैं :–

1. मौके पर दुकान बंद पायी गयी। दूरभाष पर संपर्क कर बुलाया गया।
2. स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड अद्यतन नहीं ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर,जिला रसद अधिकारी उपभोक्ता हैल्पलाइन के व्हाट्सऐप नंबर, वन नेशन वन राशन कार्ड हैल्प लाइन नंबर प्रदर्शित नहीं।
4. उचित मूल्य दुकान अलाय बस स्टेण्ड के पास संचालित हैं जहॉ से धुधवालों की ढाणी दूरी लगभग 2 से 3 किमी दूर बतायी।
5. स्टॉक रजिस्टर मौके पर नहीं पाया गया।
6. भौतिक सत्यापन में 139 किलोग्राम गेहूँ कम मिला(पॉस में दर्ज स्टॉक से)।
7. उ.मू.दुकान का संचालन दुकानदार स्वयं द्वारा नहीं किया जा रहा हैं।

इस प्रपत्र पर नेमाराम स्वयं एवं जॉच दल के हस्ताक्षर हैं।

फर्द मौका जांच दिनांक 28.03.2025 में यह अंकित किया हैं कि मैं रामावतार पूनियां(प्र.अ.) हमराह रामनिवास बेरवाल(प्र.नि.),श्रीमान् जिला रसद अधिकारी,नागौर के आदेशानुसार जांच हेतु उचित मूल्य दुकान श्रीमती रूकमणी,ग्राम धुंधवालों की ढाणी पोस कोड 30037 पर पहुंचे। मौके पर उचित मुल्य दुकान बंद मिली। दुकान के बाहर स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड पर प्रारम्भिक स्टॉक व मूल्य सूची अद्यतन नहीं पायी गयी। वक्त जांच दुकान के बाहर श्रीमान् जिला कलक्टर,श्रीमान् जिला रसद कार्यालय के हैल्पलाइन नंबर, उपभोक्ता हैल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर तथा वन नेशन,वन राशन कार्ड (ONOR) के हैल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन नहीं पाया गया। दुकान के बाहर दिये गये दूरभाष नंबर 9784255324 पर संपर्क कर श्री नेमाराम को बुलाया जिन्होंने दुकान का संचालन स्वयं करना बताया। दुकान अपनी पत्नी श्रीमती रूकमणी देवी के नाम से होना बताया। वक्त जांच पोस मशीन में दर्ज ऑनलाइन स्टॉक 35 क्विंटल 89 किलोग्राम दर्ज हैं भौतिक सत्यापन पर 34 क्विंटल 50 किलोग्राम गेहूँ पाये गये जो कि वास्तविक स्टॉक से 139 किलोग्राम गेहूँ कम पाए गए। फर्द मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनायी तथा सत्य मानकर गवाहों से हस्ताक्षर करवाये। इस फर्द पर नेमाराम के हस्ताक्षर हैं तथा गवाह के रूप में रामकरण पुत्र श्री पुसाराम निवासी–धूंधवालों की ढाणी के हस्ताक्षर हैं एवं जॉच दल के हस्ताक्षर हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

जॉच दल द्वारा बनायी गई रिपोर्ट पर नेमाराम स्वयं के हस्ताक्षर हैं,इसलिए इस जॉच रिपोर्ट को नहीं मानने का पत्रावली पर कोई आधार उपलब्ध नहीं हैं। प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांट ने शपथ–पत्र नेमाराम एवं गवाह रामकरण के पेश कर यह कथन किया हैं कि उनके हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाये गये तथा यह कहकर हस्ताक्षर करवाये गये कि दुकान बंद हैं। यह तथ्य मानने योग्य नहीं हैं,क्योंकि निरीक्षण प्रपत्र/फर्द मौका,जॉच दल अधिकारियों से हस्ताक्षरित हैं। उक्त कथन अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही से बचने के लिए बाद में सोच विचार कर अपने बचाव में किये जाना प्रतीत होता हैं।

जिला रसद अधिकारी,नागौर ने अपने आदेश दिनांक रसद/विवि/2025/821दिनांक 01.04.25 से प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक(संयुक्त जॉच दल) की रिपोर्ट पर श्रीमती रूकमणी देवी उचित मूल्य दुकान संख्या–1263 एफपीएस कोर्ड 30037 धुंधवालो की ढाणी तहसील नागौर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा writ petition(civil) No. 196/2001 में पारित आदेश दिनांक मई 2, 2003 की स्पष्ट अवहेलना किये जाने पर उक्त आदेश के खण्ड–6 व 08(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती रूकमणी देवी उचित मूल्य दुकानदार धुंधवालों की ढाणी तहसील नागौर के प्राधिकार पत्र संख्या 1263/2017 को अग्रिम आदेशों/90 दिवस की अवधि (दिनांक 01.04.2025 से 29.06.2025) तक निरस्तीकरण की प्रक्रिया विचाराधीन रखते हुए निलम्बित किया जाता हैं का आदेश पारित किया हैं।

प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार को कारण बताओं नोटिस विभागीय प्रकरण संख्या 05/2025 कमांक/826 दिनांक 01.04.2025 को जारी किया हैं। इस विभागीय प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार रूकमणी देवी द्वारा दिनांक 15.04.2025 को जबाव प्रस्तुत किया गया हैं,जबाब के तथ्य इस प्रकार हैः–

1. यह हैं कि दिनांक 28.03.2025 को नागौर उचित मूल्य दुकानदार ग्रुप में सूचना मिली कि समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित होना अनिवार्य हैं जिसकी पालना में मैं नागौर गयी हुई थी तथा उक्त कार्यक्रम में उपस्थित थी। सूचना की प्रति संलग्न हैं।
2. यह हैं कि उचित मूल्य दुकान का संचालन मेरे द्वारा ही किया जाता हैं लेकिन श्री नेमाराम मेरे पति हैं उनके द्वारा वितरण में सहयोग किया जाता हैं।
3. यह हैं कि अब मेरे द्वारा उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक एवं मूल्य सूची बोर्ड का संधारण सही ढंग से निर्धारित प्रपत्र में कर दिया हैं। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगी।
4. यह हैं कि अब मेरे द्वारा उचित मूल्य दुकान पर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,श्रीमान् जिला रसद अधिकारी एवं उपभोक्ता हैल्पलाईन के वाट्सअप नम्बर,वन नेशन वन राशन कार्ड हैल्पलाईन के नम्बर प्रदर्शित कर दिये हैं।
5. यह हैं कि मेरी दुकान के समस्त उपभोक्ता ढाणियों में निवास करते हैं तथा मेरी दुकान उपभोक्ताओं की सुविधा के मध्यनजर समस्त ढाणियों के बीच अवस्थित है। जिसका नक्शा प्रमाणित हैं।
6. यह हैं कि मेरा स्टॉक रजिस्टर घर पर था मैं नागौर से आयी भविष्य में दुकान पर रखूंगी।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

7. यह हैं कि मेरे द्वारा वितरण हेतु 3–4 कट्टे गेहूँ खाली किये हुए थे। अतः पोश मशीन अनुसार स्टॉक सही था।

इस प्रकरण में प्रस्तुत शिकायत एवं जॉच दल द्वारा शिकायत की जॉच का निरीक्षण–प्रपत्र एवं फर्द मौका रिपोर्ट एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस, जॉच दल द्वारा जिला रसद अधिकारी,नागौर को पेश की गई संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 28.03.2025 के अवलोकन से संयुक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 28.03.2025 में दर्ज की गई अनियमितताऐं संख्या 1 से 4 व 7 सही होना साबित करती हैं। क्योंकि जॉच के समय दुकान बंद थी,दुकान पर अंकित नम्बर से कॉल कर बुलाने पर श्री नेमाराम उपस्थित हुआ,जिससे ये प्रकट हैं कि दुकान वक्त निरीक्षण बंद थी तथा दुकान बंद रहने का सही कारण अपीलांट स्पष्ट नहीं कर सकी हैं,क्योंकि उनके द्वारा नागौर टाउन हॉल में उपस्थिति का साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। श्री नेमाराम स्वयं ने यह बताया हैं कि उनके द्वारा ही दुकान का संचालन किया जा रहा हैं तथा अपीलांट ने अपने नोटिस के जबाब में यह स्वीकार किया हैं कि दुकान संचालन में उनके पति का सहयोग लिया जा रहा हैं तथा गवाह ने भी दुकान का संचालन नेमाराम द्वारा किये जाने का कथन दौराने जॉच किया है एवं अपने हस्ताक्षर किये हैं। अनियमितताऐं संख्या 3,4 एवं 07 के तथ्य अपीलांटन ने स्वयं ने अपने जबाब में स्वीकार कर सुधार किये/करने हेतु लिखा हैं।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं की जा सकती हैं क्योंकि रेस्पोडेन्ट ने बाद जॉच प्रथम दृष्टया शिकायत के तथ्य सही पाये जाने पर अपने आदेश से प्राधिकार पत्र संख्या 1263/2017 को अग्रिम आदेश/90 दिवस की अवधि(दिनांक 01.04.2025 से 29.06.2025) तक निरस्तीकरण की प्रकिया विचाराधीन रखते हुए निलम्बित किया हैं,जो अंतरिम आदेश है तथा विभागीय प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया था। उक्त नोटिस का जबाब भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया गया हैं।

जहाँ तक शिकायतकर्ताओं के नाम व पत्ते नहीं होने तथा शिकायत झूठी होने का प्रश्न हैं। शिकायतकर्ताओं के शिकायत में नाम,पिता का नाम,पूर्ण पता आदि का अंकन नहीं होने पर भी शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच किया जाना उचित हैं। शिकायत के तथ्य जॉच में प्रथम दृष्टया सही पाये गये हैं,इसलिए शिकायत झूठी नहीं मानी जा सकती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा जारी आदेश कमांक/रसद/विवि/2025/821 दिनांक 01.04.2025 विधिवत् होने से इस आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा जिला रसद अधिकारी,नागौर का अपीलाधीन आदेश कमांक/रसद/विवि/2025/821 दिनांक 01.04.2025 यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)